संख्या- 2/2020/ 23/78-2-2020-112आई.टी./2016

प्रेषक,

बराती लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 14 फरवरी, 2020

विषयः प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग में कम्प्यूटरीकरण का कार्य एवं शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति से आम- जनमानस की उपलब्ध कराये जाने हेतु आईटी पूल फण्ड से धनराशि रू0 64,83,510/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-1939/पचास-यु0क0-2019-62(विविध)/2017 दिनांक 13-12-2019 एवं आईटी एवं इले0 अनुभाग-2 के पत्र संख्या-23(1)78-2-2020-112आई.टी./2016 दिनांक 31-01-2020 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग में संलग्न तालिका के अनुसार कम्प्यूटरीकरण का कार्य एवं शासकीय सेवाए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रानिक्स पद्वति से आम-जनमानस को उपलब्ध कराये जाने हेतु आईटी पूल फण्ड में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख में से रू0 64,83,510/- (रू0 चौसठ लाख तिरासी हजार पाच सौ दस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक , सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स उक्त धनराशि को महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल उ0प्र0 उपलब्ध करायेगें तथा उक्त् धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर महालेखाकार, उ0प्र0 निदेशक, उद्योग कानपुर तथा आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें।
5. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।
6. उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद/ कार्य हेतु किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत कार्यो से इतर धनराशि का व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
7. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-007 उद्योग (भारी मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07 दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-21 आईटी पूल फण्ड की स्थापना-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 2/2020/ 23(1)/78-2-2020 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. राज्य समन्वयक, सीईजी लखनऊ।
5. महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
9. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4 ।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या–2/2020/ 23(1)/78–2–2020–112आई.टी./2016 दिनांक 14-02-2020 का संलग्नक

S. NO	JOB DESCRIPTION	REQUIRED QUANTITY	UNIT PRICE (INR)	AMOUNT (INR)
1	**Project Study & preparation of DPR (Detailed Project Report) document alongside designing theme & pages & Database Design preparations with following details:** Checks to be applied in the application Fields of Reports Any Special Requirement of User	**1**	250,000.00	250,000.00
2	**Design and Development of Web-based Applications:**			
2.1	**Online Registration of various Applicants and their Database Management.** Online Registration of Youth for the various Schemes of department Online Registration for Prantiya Rakshak Dal with Duty & Payment Management System	**1**	1,900,000.00	1,900,000.00
2.2	**Scheme Monitoring System for Various schemes of Youth Welfare and PRD Department** MPR/DPR of Various Schemes Master forms and Reports Dashboard	**1**	1,200,000.00	1,200,000.00
3	**Design and Development of Android based Mobile App for Applicant Registration**	**1**	450,000.00	450,000.00
4	**Helpdesk & Grievance Redressal System**	**1**	250,000.00	250,000.00
5	Integration of proposed Web Portal with e-District Portal (One time Cost)	1	90,000.00	90,000.00
6	Integration of proposed Web Portal with Mukhyamantri Darpan Portal (One time Cost)	1	90,000.00	90,000.00
7	SMS Gateway Integration with Messaging System	1	100,000.00	100,000.00
8	SMS Package (1 Year)	1000000	0.17	170,000.00
9	Security Audit of Application by CERT-In empanelled Agency	1	250,000.00	250,000.00
10	Training for Office Staff [In Days]	5	10,000.00	50,000.00
11	Project Implementation & Operational Support (In Months)	3	65,000.00	195,000.00
12	Hosting Services on SDC Server (50 GB)	1	0.00	0.00
13	**Annual Maintenances Charges (AMC) for ONE-YEAR** (after successful completion of the project from the date of delivery Challan received) **for one Year**	**1-Year**	Included	Included
14			**Total**	**4,995,000.00**
15			**UPDESCO's Margin @10%**	**499,500.00**
16			**Total with UPDESCO's Margin**	**5,494,500.00**
17			**CGST @9%**	**494,505.00**
18			**SGST@9%**	**494,505.00**
19			**Grand Total**	**6,483,510.00**
Amount In Words: Sixty Four Lakh Eighty Three Thousand Five Hundred Ten Only				

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in